

Handwritten notes in the top right corner, including the number 213/17 and some illegible text.

6-1-17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर  
बीरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में  
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की  
पालना में दिनांक 21/3/17 को पेश हो।

213/17 पीठासीन अधिकारी के आज  
मुख्यालय के बाहर बीरे/अवकाश पर होने  
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख  
तब्दील की जाती है। मुताबिक आज सूचना  
के मिसल दिनांक 21/3/17 को पूर्व  
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार  
रीडर

आदेशानुसार  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

21-5-17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर  
बीरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में  
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की  
पालना में दिनांक 21-5-17 को पेश हो।  
आदेशानुसार

रीडर

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017  
कैम्प कोर्ट : .....

22.5.17

पत्रावली कैम्प कोर्ट तिलारा के पेश डीपी कोर्ट में  
उक्त वाद पेश कर रिपेस किया कि जल तिलारा के  
हाल खसरा नंबर 1317/4500 (0.45), 1335/  
4448 (0.52) की मारानी शिवालय है जो  
वादी के बालेयारी खेत के आवागमन व जुखाना  
के काम आती है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त मारानी  
पर जब्तन अनिहुषण करण करते है अतः प्रतिवादीगण  
को जलिये खानी शिखेवासा मांगे किया जावे।

राज डीपीकार ने जवाब पेश कर रिपेस किया  
कि वादग्रस्त मारानी शिवालय है

पत्रावली का अनुलोकाण किया वादग्रस्त  
मारानी हाल वादात्त अनिलेख के शिवालय है

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट तिलारा

गरी के कार्य  
काश पर हिन  
पों में मरिख  
काल मूकनाना  
काल मूकनाना



हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

जहाँ है वादी के द्वारा कोई दस्तावेज  
जो उसे मिला है जिसमें उक्त आराजी  
इन्हीं जेतवारी से दर्ज है। वादी ने  
प्रस्तुत वाद से जेतवारी की उद्घोषणा  
की नहीं की है। वादग्रस्त आराजी शपथ  
अभिनेता के सिवायक दर्ज है जिस पर  
वादी व जेतवारी दोनों पक्षों का कोई  
हम व अधिकार नहीं है। वादी उक्त  
आराजी पर जेतवारी का पंजीन किया  
निषेधाज्ञा पाठ्य करना नहीं है।  
किन्तु सिवायक जपान पर किसी भी  
व्यक्ति का अधिकार वा अधिकार नहीं  
है।

उक्त उद्घरण का विचारण इस  
अंश में किया जाता है कि लक्ष्मीवती  
नारायण उक्त आराजी की मालिका हैं  
वही 1. वादग्रस्त सिवायक आराजी पर  
कोई अधिकार है वा निष्पत्तु  
कार्यवाही की जावे। यद्यपि उक्त शपथ  
वही न करे। जगतजी केवल शुद्ध है।  
वह नाम के रूप है व वादग्रस्त दस्तावेज

पाठासन अधिकारी  
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : 10000  
मिर्मा

5

बाद